फाइल नं0-71-3099/58/2021-03

157/2022/I/239661/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
गाजीपुर, देवरिया, मीरजापुर तथा प्रतापगढ़।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, गाजीपुर, देवरिया, मीरजापुर तथा प्रतापगढ़ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पंचम किश्त की धनराशि का आवंटन।

महोदयए

उपर्युक्तत विषयक अपने पत्र संख्या-म0वि0स्व0रा0चि0म0/गैर वेतन/बजट/2022-23/1820, दिनांक 09.11.2022, पत्र संख्या-ए0एस0एम0सी0/डियो/बजट/नान-सैलेरी/2022-23/1069, दिनांक 10.11.2022, पत्र संख्या-मे0का0/बजट/2022-23/799, दिनॉक 07.11.2022 एवं पत्र संख्या–मे0का0प्र0/2022/1100, दिनॉक 05.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज गाजीपुर, देवरिया, मीरजापुर तथा प्रतापगढ़ हेतु गैर वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, गाजीपुर, देवरिया, मीरजापुर तथा प्रतापगढ़ हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की गई है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	देवरिया	600.00	शासनादेश दिनॉक 22.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त रू0 166.66 लाख	400.00
			शासनादेश दिनॉक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 33.34 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 08.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 21.10.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त रू0 100.00 लाख	
2	मीरजापुर	600.00	शासनादेश दिनॉक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त रू0 166.66 लाख	400.00
			शासनादेश दिनॉक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 33.34 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 08.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 21.10.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त रू0 100.00 लाख	
3	गाजीपुर	600.00	शासनादेश दिनॉक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त रू0 166.66 लाख	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			शासनादेश दिनॉक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 33.34 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 21.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 21.10.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त रू0 100.00 लाख	
4	प्रतापगढ़	600.00	शासनादेश दिनॉक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त रू0 166.66 लाख	400.00
			शासनादेश दिनॉक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 33.34 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 08.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 20.10.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त रू0 100.00 लाख	

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष के अधीन अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-गाजीपुर, देवरिया, मीरजापुर तथा प्रतापगढ़ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में प्रस्तर-4 की तालिकानुसार प्रति मेडिकल कालेज रू0 100.00 लाख अर्थात् कुल रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5- धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6- यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 2210051050353 (मेडिकल कालेज, देवरिया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050353 मेडिकल कालेज, देवरिया	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

महायोग	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-377-दस/2022-23, दिनॉक 21 नवम्बर, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या उपरोक्त तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर, देवरिया, मीरजापुर तथा प्रतापगढ़।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।